Shodh Sangam Patrika
ISSN: 3049-0707 Volume 2 | Issue 1 | (Jan – Mar 2025)

महिला सशक्तिकरण

माधवी अबिचंदानी [1], डॉ एस.के.ठाकुर [2]
[1] रिसर्च स्कॉलर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल एवं व्याख्याता, मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सरदार बल्लभभाई पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल
[2] प्रोफेसर, कार्मस डिपार्टमेंट, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल

सार– बदलती परिस्थितियों के साथ आज 21 वीं सदी में महिलाओं को सशक्त व सबल बनाने के प्रयासों का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है। आज की नारी किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं है। वैदिक काल से वर्तमान तक अनेक उतार–चढ़ाव देखते हुए, समाज सुधारकों के अथक प्रयासों, वर्षों से सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियानों के परिणाम स्वरुप एवं स्वयं के असीम संघर्षों के पश्चात् भारतीय नारी शताब्दियों की परतंत्रता की बेडियों के बंधन से मुक्त हुई, उसने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, जिससे वह पति सेवा के अतिरिक्त राष्ट्र जाति एवं स्वयं के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझ सकी। अपने अधिकारों के प्रति उसमें जागरुकता पैदा हुई, उसने घर की चारदीवारी को लांघकर, परम्परागत सीमाओं को तोड़, समाज में अपने महत्वपूर्ण योगदान द्वारा नवीनता को प्रतिस्थापित किया। महिलाओं में अपने पैरों पर खडे होने का स्वावलम्बन प्रस्फुटित होने लगा व उसने स्वतंत्र अस्तित्व की स्थापना का प्रयास किया। शिक्षा और आर्थिक मजबूती ने नारी आत्मविश्वास में वृद्धि की। आज की नारी पुरुष वर्चस्व अधिकार क्षेत्र की प्राचीरों को तोड़ने में प्रयासरत है। वह स्वेच्छानुसार अपने व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक एवं खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नये आयाम तय कर रही है। आर्थिक दृष्टि से आज की नारी अर्थचक्र के केन्द्र की ओर बढ़ रही है ।

उद्देश्य–

1. महिला सशक्तिकरण के संबंध में शासकीय योजनाओं का अध्ययन करके विश्लेषण करना कि वे महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सशक्तिकरण में कितनी सहायक रही।
2. महिला सशक्तिकरण में सहायक कानूनों का अध्ययन एवं उनकी उपयोगिता जानना।
3. महिला सशक्तिकरण में सहायता करने वाले विभागों एवं उनकी नीतियों का अध्ययन करना।
4. महिलाओं का उनके लिये बने कानून, अधिकारों के प्रति शासकीय विभाग (संबंधित) जागरुकता पैदा करने में कहां तक सफल रहे, का अध्ययन करना शोध का उद्देश्य है।
5. महिलाओं की रोजगार संबंधी स्थिति का वास्तविक आंकलन करना।
6. महिलाओं की शिक्षा संबंधी स्थिति का वास्तविक आंकलन करना।

परिकल्पना–

1. शासकीय योजनाओं, कानूनों का महिल[ा] सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव रहा है।
2. महिला सशक्तिकरण में सहायता करने वाले विभाग, मंत्रालय सततः उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रयासरत है एवं अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं।

प्रस्तावित शोधविधिः–

प्रस्तुत अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक संमको का प्रयोग किया जायेगा, द्वितीयक संमको के लिये संबंधित विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन, जनगणना प्रकाशन, सांख्यिकीय प्रकाशन, स्वास्थ्यगत संमको, रोजगार संमकों, शिक्षा संबंधी संमको एव ं प्रमुख पुस्तकों से तथा संबंधित विभागों के पोर्टल एवं वेबसाईट से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर प्राप्त निष्कर्षों को सार्थक ढंग से प्रस्तुत कर विषयवस्तु की प्रस्तुति की जायेगी।

प्रस्तावना–

महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य योजना पर विवेचन से पूर्व हमारे मस्तिष्क में विविध प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते है जैसे भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य योजनाएं चलाने की आवश्यकता क्या है ? महिलाओं की स्थिति के संबंध में प्रचलित भ्रान्त धारणाएं क्या है? क्या धारणाएं भ्रान्त है या इनकी अपनी सत्यता भी है? यदि समाज में प्रचलित धारणाएं गलत है तो समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिये हम भारतीय इतिहास जाने, तभी महिलाओं की स्थिति का मूल्याकंन एवं महिला सशक्तिकरण का औचित्य जान सकेंगे। भारत के इतिहास की तरफ देखें तो मालूम पड़ता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। वैदिक काल से आधुनिक काल तक अनेक उतार–चढ़ाव आते रहे तथा उनके अधिकारों में तदनुसार बदलाव भी होते रहे। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ. थी। परिवार और समाज में बराबरी तथा समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद के अनुसार स्त्रियों की अवनति उत्तर वैदिक काल से शुरु हुई, उनके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। उनकी स्वतंत्रता एवं उन्मुक्तता पर अंकुश लगाये जाने लगे। मध्यकाल में इनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया, उसके कारण बात विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा आदि कुरीतियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्नीसवी ं सदी के पूर्वार्द्ध में भारत में समाजसेवियों ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई, उनके निरंतर प्रयासों के माध्यम से सती प्रथा पर अंकुश लगा तथा विधवाओं के जीवन स्तर में अपेक्षाकृत सुधार आया। भारतीय संविधान ने देश के समस्त नागरिकों को जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करने की गारंटी दी है। किन्तु फिर भी महिलाओं की स्थिति में आशानुकुल परिवर्तन नही आया है। वर्ष 2010 में ग्लोबल जेंडर गेप प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार 134 देशों में महिलाओं की स्थिति का (शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी एवं राजनीतिक ताकत इन चार आधार पर) अध्ययन किया गया इस रिपोर्ट में भारत 112 वें स्थान पर रहा। भारत में राजनीतिक ताकत को छोड. कर अन्य तीन आधारों पर भारत की स्थिति अत्यंत ही खराब रही। भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे शीर्ष पदों पर महिलाओं के चुने जाने, संसद, स्थानीय निकायों, समस्त नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिये जाने के कारण राजनीतिक ताकत के आधार पर भारत की महिलाएं विश्व की अन्य महिलाओं की तुलना में 23वें पायदान पर रही किन्तु स्वास्थ्य (132वें स्थान) आर्थिक भागीदारी (128वें स्थान) व शिक्षा (120वें स्थान) के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की स्थिति के आकड़े संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। भारत की आजादी को 75 वर्ष पूर्ण हो चूके हैं । 75 वर्षों में महिलाओं में साक्षरता की दर में भले वृद्धि हो गयी हो, उन्हें आर्थिक स्वांवलम्बन भी प्राप्त हो गया हो, किन्तु समाज आज भी उन्हें दोयम दर्जे की नजर से देखता है। क्या कोई समाज जहां पुरुष और महिला में भेदभाव किया जाता है, प्रगति कर सकता है, कदापि नहीं। अतः समाज की प्रगति हेतु महिला सशक्तिकरण हेतु प्रारम्भ की गई योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन करना अति आवश्यकता है।

सशक्तिकरण का आशय–

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास जाग्रत करना। महिलाओं को उनके अधिकारों के लिये सजग करना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का सही अर्थ तभी संभव हो सकता है जब वह सम्मान खोये बिना, जिस लक्ष्य को पाना चाहती हो उसका प्रयास कर सकें व अपने गंतव्य तक पहुँच सकें, उसे संचार का हक हो, सुरक्षा मिले, आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, उसकी इच्छा–अनिच्छा का ध्यान रखा जाये, समाज व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हो, उसे अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर मिले, धन सम्पत्ति में हक मिले, देश की प्रगति तथा गौरव बढ़ाने में सहयोग का पूरा अवसर प्राप्त हो।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता–

सदियों से महिलाओं के पुरुषों द्वारा किये गये शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता प्रतीत होती रही है। महिलायें विभिन्न प्रकार की हिंसा और दुनिया भर में पुरुषों द्वारा किये जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहारों का लक्ष्य है। भारत भी इससे अछूता नही है। भारत में सदियों से विभिन्न प्रकार के रीति–रिवाजों, परम्पराओं और प्रथाओं का विकास हुआ, जिनमें से कुछ

अच्छी तो कुछ बुरी भी है। भारतीय धर्म में महिलाओं को देवी मान उसकी पूजा का प्रावधान भी है किन्तु विभिन्न कुरीतियाँ एवं कुप्रथाएं नियमित व्यवहार से अपनी जड़े भी जमा चुकी है। अतः महिला सशक्तिकरण की सोच न केवल महिलाओं की ताकत और कौशल को उनकी दुखदायी स्थिति से ऊपर उठाने पर केन्द्रित करती है बल्कि साथ ही यह पुरुषों को महिलाओं के संबंध में शिक्षित करने और महिलाओं के प्रति बराबरी के साथ सम्मान और कर्तव्य की भावना पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देती है।

भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है अतः महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक आदि समस्त क्षेत्रों में सशक्त किये बिना भारत की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती।

महिला सशक्तिकरण के लिये भारत सरकार की योजनायें

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम– बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को इस कार्यक्रम की शुरुआत पानीपत, हरियाणा से की गई। इस कार्यक्रम का लक्ष्य लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ–साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में उसकी स्वीकृति सुनिश्चित करना है।

राजीव गांधी योजना (सबला)– केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की देख रेख में 1 अप्रेल 2011 से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 11–18 वर्ष की किशोरियो को पोषण आहार तथा आयरन की गोलियां सहित अन्य दवाईयाँ प्रदान की जाती हैं।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना– यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2010 को शुरु किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 19 वर्ष या अधिक की गर्भवती स्त्री को पहले 2 बच्चों हेतु वित्तीय सहायता 6000 रुपये 2 किश्तों में प्रदान किये जाते है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना– इस योजना का प्रारंभ 2004 से उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में किया गया, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम थी। इस योजना में 10 वर्ष से अधिक उम्र की अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बच्चियों का दाखिला कराना है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना– इस योजना की शुरुआत 01 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदीजी द्वारा की गई। इस योजना के अन्तर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एल.पी.जी. गैस कनेक्शन दिये जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सेहत की सुरक्षा के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की जगह एल.पी.जी. के उपयोग को बढ़ाना हैं।

स्वाधार घर योजना– इस योजना को वर्ष 2001–02 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी, विधवाओं, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रुप से विकलांग और बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करना है। इस योजना के तहत जरुरत मंद महिला को चिकित्सा सुविधा एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा महिला को अपना जीवन फिर से शुरु करने तथा आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर होने हेतु प्रेरित एवं सहायता की जाती है।

महिलाओं के लिये प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम– इस योजना की शुरुआत 1986–87 में केन्द्र द्वारा की गई इसे महिला एव ं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना में महिलाओं का कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाया जाता है जिससे वे स्वरोजगार या उद्यमी बनने का कौशल प्राप्त कर सकें।

महिला सशक्तिकरण हेतु विविध संस्थाएं एवं उनके प्रयास

राष्ट्रीय महिला आयोग– भारत सरकार द्वारा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिये कार्य करता है। यह आयोग महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को लागू करने की सिफारिश करता है।

महिला बाल विकास विभाग– महिलाओं और बच्चों के विकास को वांछित गति प्रदान करने के लिए 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। यह महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था यूनिसेफ तथा यूनिकेन जैसी संस्थाओं

के साथ समन्वय का कार्य भी करता है। यह क्षेत्र में कार्य करने वाली सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में समन्वय करने के साथ साथ नोडल ऐजेंसी का कार्य भी करता है।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान– यह संस्था सामाजिक विकास हेतु कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन के साथ साथ काम करने हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराती है। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम का संचालन करने वालों को प्रशिक्षण देने वाला यह अग्रणी संस्थान है। विभिन्न एजेन्सियों शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय का कार्य भी यह संस्थान करता है।

केन्द्रिय समाज कल्याण बोर्ड– केन्द्रिय समाज कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्य समाज कल्याण तथा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष प्रयास करना है। इसकी स्थापना अगस्त 1953 में हुई। बोर्ड द्वारा लागू किये गये कार्यक्रमों में जरुरतमंद महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम, महिलाओं और बालिकाओं के लिये शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं में जागरुकता बढ़ाने वाली परियोजनाएं, पारिवारिक परामर्श केन्द्र/स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरों, सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण प्रसार योजनाएं, बालवाडियां, कामकाजी महिलाओं के लिये शिशु सदन, हॉस्टल, आदि की सुविधा उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय महिला कोष– 1993 में आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आय अर्जन हेतु सक्षम बनाने हेतु लघु ऋण उपलब्ध कराना है। यह ऋण मुख्यतः डेयरी, कृषि, दुकान, हस्तशिल्प आदि के लिये स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों महिला विकास निगमों, महिला सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किये गये अन्य सरकारी प्रयास

1966 में यूनेस्को द्वारा चलाये गये अभियान का लक्ष्य वर्ष 1960 तक पूरे विश्व में 100 प्रतिशत साक्षरता का रखा गया। इसी अभियान के तहत ही भारत सरकार प्रोड़ शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी साक्षरता, मिशन, मीड डे मील योजना के द्वारा भारत में साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने हेतु प्रयासरत हैं।

1 जनवरी 1977 से पूरे प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना शुरु की गई एवं इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज व्यवस्था को सौंपी गई। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा किये गये प्रयासों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए।

साक्षरता अभियान क्रियान्वयन से जुड़ी समस्त समितियों में महिलाओं की भागीदारी 30–35 प्रतिशत सुनिश्चित की गई।

महिलाओं के नवाक्षर होने के बाद उनके सशक्तिकरण की दिशा में महिला स्व–सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया गया ।

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछडे वर्ग की बालिकाओं विशेषतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को निःशुल्क/यथासंभव न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा सुलभ करवाई जा रही है ।

महिलाओं को उनकी रूची एवं योग्यता अनुसार व्यावसायिक एवं व्यवसायोन्मुखी परामर्श एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ।

महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन हेतु बैंकों डाकघरों में बचत खाता खोलने में प्राथमिकता प्रदान की जाती है ।

महिला साक्षरता को बढ़ाने हेतु समय समय पर साक्षरता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं प्रसारण किया जाता रहा है तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है ।

भारत में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित कानून –

वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है । आज महिलाएँ ऑगन से अंतरिक्ष तक पहुँच गयी हैं लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत दयनीय बनी हुई है इसीलिए समाज ने महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निम्न कानून बनाये हैं:–

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 – यह अधिनियम पुरूष एवं महिला श्रमिक के बीच मिलने वाले पारिश्रमिक में भेदभाव की अनुमति नहीं देता ।

1. **खान अधिनियम 1952 एवे कारखाना अधिनियम 1948 –** इन दोनों अधिनियमों में यह प्रावधान है कि महिलाओं को सायः 7:00 चउ से प्रातः 6:00 चउ के बीच काम पर नहीं लगाया जा सकता, साथ ही काम के दौरान उसकी सुरक्षा एवं कल्याण का भी ध्यान रखना अनिवार्य है ।
2. **हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 –** इस अधिनियम के द्वारा एक समय में एक ही पति या पत्नि रखने का प्रावधान किया गया है । इसमें महिला एवं पुरूष दोनों को विवाह एवं तलाक के संबंध में समान अधिकार दिये गये है ।
3. **हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 –** इस अधिनियम में माता पिता की सम्पत्ति में पुरूष के समान महिलाओं को भी समान अधिकार दिये गये हैं । अतः पुत्री चाहे तो माता–पिता की सम्पत्ति में अपना अधिकार मॉग सकती है ।
4. **अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 –** इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण के लिये तस्करी की रोकथाम का प्रावधान किया गया है ।
5. **दहेज निषेध अधिनियम 1961 –** इस अधिनियम के द्वारा विवाह के पहले या पश्चात महिलाओं या उनके परिवार से दहेज लेना या देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते है ।
6. **मातृत्व लाभ अधिनियम 1961–**यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले एवं पश्चात कुल 06 माह का वैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान करता है एवं गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना कानूनन जुर्म है ।
7. **गर्भावस्था अधिनियम 1971–** इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बलात्कार की पीड़ित महिला या लड़की या किसी बीमारी की हालत में मानवीय एवं चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त कराने की अनुमति दी जा सकती है । सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई है ।
8. **कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013** –यह अधिनियम सार्वजनिक, निजी, संगठित, असंगठित सभी क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है ।
9.

अन्य कानून :– महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्न अन्य कानून भी बनाये गये है :–

1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
2 बागान श्रम अधिनियम 1951
3 बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976
4 कानूनी चिकित्सक महिला अधिनियम 1923
5 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925
6 भारतीय तलाक अधिनियम 1896
7 विशेष विवाह अधिनियम 1954
8 विदेशी विवाह अधिनियम 1969
9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872
10 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
11 महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986
12 सती रोकथाम अधिनियम 1987
13 घरेलु हिंसा अधिनियम 2005

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001

भारतीय पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति नियति एवं विडम्बना को रेखांकित करती है । संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता के मौलिक अधिकार तथा सरकार के महिला सशक्तिकरण के तमाम प्रयासों के बावजूद लैंगिक समानता का प्रश्न ज्यों का त्यों है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आधी आबादी

के विरूद्ध भेदभाव संविधान में परिकल्पित न्याय के साथ विकास का घोर उल्लंघन है । वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के युग में भी भारतीय महिलाएं भेदभाव तथा उत्पीड़न का शिकार है । महिलाओं के सशक्तिकरण के तहत सरकार द्वारा सर्वप्रथम सशक्त प्रयास वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति के रूप में किया गया । इस नीति के अन्तर्गत सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास एवं सशक्तिकरण करने का लक्ष्य रखा गया । इस नीति के लगभग डेढ़ दशक के बाद पुनः 17 मई 2016 को सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का प्रारूप जारी किया । इस नीति में ऐसे समाज की परिकल्पना की गई जहॉ महिलाएँ अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग कर सकें और जीवन के हर पक्ष में समानता प्राप्त कर सके साथ ही महिलाओं के लिये ऐसा सकारात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण हो जिसमें महिलाएं अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकें ।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास तथा सशक्तिकरण को मूल रूप देना है ।

1 महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के जरिये ऐ माहौल का निर्माण करना ताकि से अपनी क्षमताओं को पहचान सकें ।

2 सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में महिलाओं द्वारा भागीदारी और निर्णय क्षमता का समान अवसर ।

3 राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों तथा मौलिक आजादियों का पुरूषो के समान कानूनी तथा व्यवहारिक उपयोग करना ।

4 स्वास्थ्य, देखभाल सभी स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान वेतन, पेशेवर स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी कार्यालय इत्यादि में समान अवसर की उपलब्धता ।

5 कानूनी प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों का उन्मूलन करना है ।

6 पुरूष तथा महिला दोनों की सक्रिय भागीदारी और साझेदारी द्वारा सामाजिक धारणाओं और सामुदायिक व्यवहारों में परिवर्तन लाना ।

7 महिलाओं तथा बालिकाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन ।

8 विकास प्रक्रिया में एक लैंगिक दृष्टिकोण को लागू करना ।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण

सामाजिक रूप से हम अब भी काफी पिछड़े हुये है, नौकरी पेशा महिलाएं अपनी पारिवारिक परिस्थितियों, बच्चों की परवरिश, पारिवारिक दबाव, सामाजिक कार्य, कानून की मजबूरी के चलते अच्छे खासे पदों पर रहने के बावजूद नौकरी छोड़ देती है । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता परक शिक्षा की कमी के चलते भी महिलाएं सीमित दायरे वाली नौकरियॉ ही कर पाती है, जिनमें तरक्की के मौके कम होते है । पद भी स्थायी नही होते । कार्यस्थल पर भी भेदभाव का शिकार होती है । संध्या समय कार्य स्थल से घर लौटते समय भी उन्हें अनहोनी की आशंका से ग्रस्त रहना पड़ता है, इसके अलावा अनेक कारणों से कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत ही बाहर काम करने के लिये जा पाती है ।

उपरोक्त तथ्यों के अलावा हमारी धारणा एवं भ्रम है कि आधुनिक भारत के शहरों में रहने वाली महिलाएँ बाहर काम करने या आत्मनिर्भर होने को लेकर काफी उत्साहित होगी पर वस्तुस्थिति बिल्कुल भिन्न है । गॉवों में 35 प्रतिशत महिलाएँ खेतों में काम करती है और इनमें से 45 प्रतिशत महिलाएँ वर्ष भर में 60 हजार रूपये भी नहीं कमा पाती है और इनमें से भी मात्र 26 प्रतिशत महिलाएँ अपने पैसों को अपनी मर्जी से खर्च कर पाती है । इसके अलावा यह तथ्य भी देखने में आया है कि शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 2 से 5 लाख वाले परिवार में केवल 15 प्रतिशत महिलाएँ ही नौकरी करने जाती हैं जबकि 5 लाख से ऊपर आय वाले वर्ग में यह ऑकड़ा 12 प्रतिशत ही है वहीं गांवों में 60 हजार से 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष की आय वाले परिवारों में महिलाओं के काम करने का प्रतिशत 16 से 19 ही है । 5 लाख प्रतिवर्ष से अधिक आय कमाने वाले ग्रामीण परिवार में यह ऑकड़ा 4.9 प्रतिशत है ।

उपरोक्त के अलावा जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी है वहॉ पर महिलाओं के नौकरी या घर से बाहर काम करने का प्रतिशत भी कम है । पंजाब में 9.4 प्रतिशत महिलायें ही घर के बाहर काम करती हैं जबकि हरियाणा में 18.7 प्रतिशत, दिल्ली में 11.7 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 12 प्रतिशत, बिहार में 17.8 प्रतिशत और उड़ीसा में 23.7 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 17.2 प्रतिशत महिलायें घर के बाहर नौकरी करने के लिए जाती हैं, इसमें एक तथ्य जो गौर करने लायक है कि दक्षिण के राज्यों में जहॉ साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है वहॉ पर राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद महिलायें घर के बाहर काम या नौकरी के लिये जाती है। । तमिलनाडु में यह प्रतिशत 39.3 है, आन्ध्रप्रदेश में 47, कर्नाटक में 33.3 प्रतिशत है ।

बदलती तस्वीर

उपरोक्त ऑकड़ों का विगत वर्षो के ऑकड़ों से तुलनात्मक सूक्ष्म विशलेषण किया जाय तो महिलाओं की स्थिति में बदलाव की सम्भावना साफ नजर आ रही है । देश के सर्विस सेक्टर में महिलाएँ अपनी हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा निभाने का प्रयत्न करती नजर आ रही हैं ।

भारतीय समाज की मानसिकताएँ भी ऑकड़ों की शनैः शनैः प्रगति का आधार रहा है, परिवार में अगर लड़का एवं लड़की दोनों हो तो लड़के को नोकरी के लिये दूसरे ाहर भेजने में परिवार को कोई समस्या नही रहती किन्तु लड़की को उसी शहर में नौकरी के लिए दबाव डाला जाता है । देश में कई ऐसे क्षेत्र है जो असंगठित क्षेत्र में आते है असंगठित क्षेत्रों में कार्य दशाये महिलाओं के अनुकूल नहीं रहतीं परन्तु अब बड़ी कम्पनियों की दखल की वजह से वह अब संगठित होते जा रहे है । अतः अब परिवार अपनी लड़की को दूसरे शहरों में नौकरी करने के लिए एक विचार की शुरूवात कर रहे हैं । कई संगठनों ने महिलाओं को फलेक्सिबल टाइमिंग के अन्तर्गत कामकरने एवं वर्क फ्राम होम की सुविधा देना प्रारम्भ कर दिया है, यह महिलाओं के लिये एक उत्साहवर्धक प्रोत्साहन है जो हमें आशवस्ति की ओर ले जाजा है कि भविष्य में ऑकड़ें हमें निराश नहीं करेंगे ।

सरकार द्वारा महिला शिक्षा के ऑकड़ों को बढ़ाने हेतु अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन सुधार के साथ किया जा रहा है । गैर सरकारी स्तर पर भी कई मंचों से इसकी पहल हुए है । ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का अभियान वर्षो से जारी है । पूर्व में ये अभियान सामान्यतः महानगरों व शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित होते थे, संचार माध्यमों के तेजी से विस्तार व शिक्षा के प्रसार के कारण ये अभियान कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में रफ्तार पकड़ रहे है ।

सफल शिक्षा प्राप्त महिलाओं के ऑकड़ों को देखा जाये तो ये ऑकड़े प्रेरणादायक है क्योंकि आज सफल शिक्षा प्राप्त महिलाओं की पहुंच से कोई भी क्षेत्र चाहे राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक हो अछूता नहीं है । वर्तमान में महिलाएँ उच्चशिक्षित होकर नर्स शिक्षिका, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनिशियन, सेना, पत्रकारिता आदि अन्य क्षेत्रों की कर्मभूमि पर भी अपनी बुद्धि कौशल का परिचय दे रही हैं ।

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति के तहत महिलाओं और लड़कियों के लिये शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित की गई । भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने, निरक्षरता को दूर करने, लड़कियों के नामांकन की दरों की वृद्धि करने तथा महिलाओं द्वारा रोजगार/व्यावसायिक/तकनीकी कौशलों के साथ साथ जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये विशेष उपाय किये जा रहे हैं । माध्यमिक और उच्चशिक्षा के लिंग भेद को कम करने का प्रयास भी अनवरत जारी है ।

समाजसेवियों का मानना है कि महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार में समान अवसर दिये जाने के मामले में लोगो के नजरिये में काफी बदलाव हो चुका है । अब लड़कियो की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ गई है, खासकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में । राष्ट्रीय स्तर पर कई बोर्डो में से एक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है । सीबीएसई बोर्ड के अनुसार वर्ष 2021–22 में कक्षा 10वीं बोर्ड में नामांकित लड़के एवं लड़कियों की सफलता का प्रतिशत देखा जाये तो जहॉ 93.80 फीसदी लड़के पास होकर सफल हुए वहीं लड़कियों का पास प्रतिशत 95.21 रहा । किन्तु यदि विगत जनगणना के ऑकड़ों का अध्ययन किया जाये तो भारत

में साक्षरता के मामले में पुरूषों की साक्षरता दर 82.14 है वहीं महिलाओं में इसका प्रतिशत केवल 65.46 है ।

महिला सशक्तिकरण हेतु प्रसारित योजनाओं का मूल्यांकन–

महिला सशक्तिकरण हेतु कई योजनाओं एवं कानूनों को लागू करने से इतना तो स्पष्ट है कि सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिये हर तरह के प्रयास काफी लंबे समय से करती आ रही है और यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत बदलाव भी दिखाई देने लगा है। आज शायद ही कोई क्षेत्र हो जहां पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करायी हो। शासकीय उज्ज्वल योजना से महिलाओं का स्वास्थ्य सुधार हुआ है। बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना ने लिंग समानता की दिशा में परिवर्तनकारी पहल की है इस योजना से महिला पुरूष अनुपात में सुधार साफ परिलक्षित हो रहा है। स्टेण्ड अब इंडिया के तहत महिला उद्यमियों का 10 लाख में से 1 करोड़ तक के ऋण प्रदाय करके महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश एवं वित्तीय सहायता ने भी महिला को सशक्तीकरण की दिशा में कई पायदान आगे पढ़ाया है। सरकार की मुद्रा योजना ने भी महिला उद्यमियों को सफल करने हेतु प्रोत्साहित किया है। महिला ई हाट ने महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु ऑनलाईन मंच प्रदान करके आर्थिक तौर पर मजबूत होने के अवसर प्रदान किये हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के द्वारा सरकार ने बालिका की सुरक्षा एवं भविष्य के साथ–साथ समाज में सकारात्मक मानसिकता बनाने के प्रयास किये गये है। इसके अलावा ''नई रोशनी योजना'' द्वारा अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित की गई।

निष्कर्ष – 21 वी ं सदी महिलाओं की सदी है यही परिवर्तन की आहट है कि महिलायें सफलता के शिखर पर आरूढ़ हो रही है। उनकी कामयाबी के साथ साथ उसकी सामाजिक व आर्थिक तस्वीर लगातार बदल रही है। समाज के सभी पुरूष वर्चस्व वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर अपना परिचय दिया है वह आश्चर्यजनक है। समाज के हर क्षेत्र में उसका परोक्ष–अपरोक्ष रूप से प्रवेश हो चुका हैं आज तो कई ऐसी संस्थाएं है जिन्हें केवल नारी ही संचालित कर रही है। जिस नारी को मध्य रूप में बेड़ियों ने जकड़ दिया था। उस युग से आज तक उसके संघर्ष की कहानी बड़ी ही लंबी एवं चुनौतीपूर्ण है, परन्तु वह सफल हो रही है और आगे भी सफल होगी, चाहकर भी कोई उसके बढ़ते कदमों को थाम नहीं सकता।

सुझाव– शासन की महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं, संवैधानिक प्रावधान शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं के प्रयास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिला सशक्तिकरण संबंधी तथ्य एवं संबंधित आंकड़ों के माध्यम से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिये हर तरह के प्रयास काफी लंबे समय से करती आ रही है और यही कारण है कि आज 21वीं सदी में समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह के बदलाव भी दिखाई देने लगे है। किन्त ु यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी सच्चाई यह है कि हजारों वर्ष की यह मान्यता कि महिला को पुरूष के संरक्षण की आवश्यकता होती है, परिवर्तित नहीं हुई है और इस कारण वह दोहरे भार से दब रही है। आज भी उसको समाज में दोयम दर्जे का स्थान मिला है। आज भी उसको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है आए दिन महिलाऐं, अत्याचार, शोषण, अनाचार का शिकार हो रही हैं। अतः इस विषय पर शासन, स्वयं सेवी संगठनों, राजनेताओं, शिष्याविदों, समाज सेवकों एव ं जनतंत्र को अभी और चिन्तन एवं समाज (स्त्री–पुरूष दोनों) को मानसिकता बदलने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

1. राजकुमार डॉ., नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005
2. गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण, बुक एनकलेव जयपुर
3. सिंह करण बहादुर, महिला अधिकार व सशक्तिकरण कुरुक्षेत्र, 2006
4. शैलजा नागेन्द्र, वॉमेन्स राइट्स, ए.डी. पब्लिशर्स, जयपुर, 2006
5. मिश्र जयशंकर (2006) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना
6. पावड़े मनोज कुमार, नारी साम्राज्य, विश्वभारती प्रकाशन, 2008
7. श्रीवास्तव रागिनी, आधुनिक समाज एवं महिलायें, इन्दौर, 2011

8. जे.सी. अग्रवाल (1 जनवरी 2009) भारत में नारी शिक्षा, प्रभात प्रकाशन] ISBN 978-81- 85828-77-0
9. डॉ. जे.पी. सिंह (1 अप्रैल 2016) आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन ISBN 978-81- 203-5- 232-2
10. 27 जुलाई 2016 Indiaspend.com
11.Source- Ministry of Human Resourcee Development Data 2021-22
12- Source- Central Board of Secondary Education Data- 2021-22
13- https://censusindia.gov.
14- https://en.m.wikipedia.org>wiki>c
15. वार्षिक रिपोर्टः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार 2020–21
16. भारत की महिलाओं से संबंधित सांख्यिकी 2020, राष्ट्रीय जन सहयोग एव ं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली
17. महिला कानून एवं मानवधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
18. भारत का संविधान, वाधवा प्रकाशन, नई दिल्ली
19. आधुनिक समाज एवं महिला– रागिनी श्रीवास्तव
20. मध्यप्रदेश महिला नीति टी राधाकष्ण